International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 26-06-2020; Accepted: 12-07-2020; Published: 27-07-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 00-00

ग्रामीण नेतृत्व में जागरुकताः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (पटना जिले के विशेष संदर्भ में)

रीता रानी [1]

[1] समाजशास्त्र, एम. ए., पी.एच–डी., मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, जिला–पटना, बिहार, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र ग्रामीण नेतृत्व में जागरुकता के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से सम्बंधित है। इसमें पटना जिले के विशेष संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच, पंच और सचिव तीनों से मिलकर बनता है, जिसमें सचिव प्रशासकीय पद होता है तथा शेष पद वयस्क ग्रामीणों द्वारा मतदान प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जो ग्राम विकास में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करता है। निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व में एक प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व, जिसे सरपंच के नाम से जाना जाता है तथा शेष ग्रामीण नेतृत्व पंच होता है और समस्त पंच मिलकर अपने में से उपसरपंच का चयन करते हैं, जिसे उपप्रमुख ग्रामीण नेतृत्व कहा जाता है। उपप्रमुख ग्रामीण नेतृत्व, प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व की अनुपस्थिति में प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व के समस्त कार्यों को संचालित करते हैं। ग्रामीण नेतृत्व की जागरुकता से ग्राम विकास किया जा सकता है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण नेतृत्व में जागरुकता की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।1

मूल शब्दः ग्रामीण नेतृत्व, जागरुकता, ग्राम पंचायत, वार्ड, महिला भागीदारी

प्रस्तावना

ग्रामीण शक्ति संरचना में नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समाज में हमारी सामाजिक व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व पर ही आधारित है। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है, जिनमें किसी विषय पर स्वयं निर्णय लेने की, अपनी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने की क्षमता है। प्रत्येक समुदाय में अधिकांश व्यक्ति उन थोड़े से व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। भारत देश के विकास में शक्ति संरचना का प्रमुख स्थान है, जिनका स्वरूप समय के साथ परिवर्तित होती रही हैं। स्वतंत्रता के बाद ग्राम विकास के लिए ग्रामीणों को शक्ति संरचना में अधिक अधिकार प्रदान किया गया है। ग्रामीण अपने विकास के लिए हमेशा तत्परता के साथ सक्रिय रहता है और ग्रामीण अपने आप को जन कल्याणकारी कार्यों में लगा देते हैं। ग्रामीण आत्म प्रेरित होकर ग्रामीण नेतृत्व करने के लिए ग्राम पंचायत का हिस्सा बनकर अपने समूह या अपने वार्ड के विकास में योगदान करते हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराया जाता है।2

अध्ययन के उद्देश्य : ग्रामीण नेतृत्व में जागरूकता की स्थिति को ज्ञात किया गया है।

अध्ययन के उपकल्पना : पुरुष ग्रामीण नेतृत्व की तुलना में महिला ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी विरोध का सामना अधिक करते हैं।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त शोध पद्धति

(1) **उत्तरदाताओं का चयन** : प्रस्तुत अध्ययन हेतु 2009–2010 के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पटना जिले के ग्राम पंचायत के निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व उत्तरदाता है तथा अध्ययन के लिए दो स्तरों में निदर्श चयन किया गया है, जिसमें प्रथम प्रत्येक तहसील के कुल ग्राम पंचायत का 5 प्रतिशत अर्थात् 21 ग्राम पंचायत का चयन तथा द्वितीय चयनित ग्राम पंचायत से कुल 326 उत्तरदाताओं का अध्ययन हेतु चयन किया गया है, जिसमें अधिकांश सरपंच एवं उपसरपंच का चयन किया गया है। इस प्रकार पटना जिले के कुल निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधि 6519 का 5 प्रतिशत, 326 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है तथा दो स्तरों के निदर्श चयन में लाटरी पद्धति का उपयोग किया गया है।

(2) **तथ्य संकलन की प्रविधियाँ, उपकरण एवं विश्लेषण** : प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची उपकरण के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है, संकलित तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण, सारणीयन करने के पश्चात् उनका विश्लेषण सांख्यिकी एवं तार्किक दोनों आधार पर किया गया है तथा सांख्यिकी विश्लेषण में कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित काई वर्ग परीक्षण सह–संबंध गुणांक का उपयोग किया गया। प्रत्येक निष्कर्ष को प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के माध्यम से निर्मित किया गया है।

तालिका 1 से स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक 88.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पद पंच हैं तथा 06.13 प्रतिशत उत्तरदाता सरपंच हैं एवं 04.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पद उप सरपंच है। अतः कह सकते हैं, कि ग्राम पंचायत में प्रमुख व उप प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व की तुलना में ग्रामीण नेतृत्व की संख्या अधिक होता है। अध्ययनगत क्षेत्रा के प्रमुख ग्रामीण नेतृत्व का चयन उत्तरदाता के रूप में किया गया

तालिका क्रमांक 1: उत्तरदाताओं के वर्तमान व पूर्व में निर्वाचित पद की स्थिति

	ग्रामीण नेतृत्व की स्थिति	वर्तमान		पूर्व	
	उत्तरदाताओं के निर्वाचित पद	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1	सरपंच	20	06.14	8	17.78
2	उप सरपंच	16	04.90	.	.
3	पंच	290	88ण्90	37	82ण्22
	योग	326	100	45	100

है, जिनका ग्राम विकास में विशेष योगदान होता है। चयनित उत्तरदाताओं के 45 (13.80 प्रतिशत) उत्तरदाता पूर्व में भी ग्रामीण नेतृत्व रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक 82.22 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्व में पंच, तथा 17.78 प्रतिशत उत्तरदाता सरपंच के पद पर रहे। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण एक बार ग्रामीण नेतृत्व निर्वाचित होने के पश्चात् पुनः ग्रामीण नेतृत्व बहुत कम निर्वाचित होते हैं, अर्थात् ग्राम विकास हेतु ग्रामीण नेतृत्व में नये ग्रामीण सदस्य को प्राथमिकता देते हैं, जो निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व की जागरूकता में कमी को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 2: उत्तरदाताओं का लिंग संरचना और ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी का विरोध होने संबंधी मत के मध्य सह–संबंध

क्र.	लिंग	ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी होने पर विरोध का होना		योग
		हाँ (%)	नहीं (%)	आवृति (%)
1	पुरुष	21 (05.54)	199 (02.72)	220 (67.48)
2	महिला	89 (83.96)	017 (10.38)	106 (32.52)
	योग	110 (33.74)	216 (66.2)	326 (100)

काई वर्ग का परिकलित मान ग्2 त्र 171.265
सार्थकता स्तर च त्र 0.05
स्वतंत्राता अंश ;कद्धि त्र (2–1) (2–1) त्र 1
स्वतंत्राता अंश 1 एवं सार्थकता स्तर 0.05 पर सारिणी मान त्र 3.841

तालिका क्रमांक 2 में ग्रामीण प्रत्याशी होने पर विरोध होने संबंधी मत को उत्तरदाताओं के लिंग संरचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 171.265 सारणी मान 03.841 से बहुत ही अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी होने पर विरोध लिंग संरचना के आधार पर होता है तथा महिला ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी विरोध का सामना अधिक करते हैं, अतः अध्ययन की उपकल्पना सही सिद्ध हुआ। प्राप्त तथ्य से निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण समाज में आज भी पुरुष महिला उपेक्षा की भावना से ग्रसित है और ग्राम विकास के लिए महिला ग्रामीण नेतृत्व को जागरुक नहीं मानते हैं तथा उन्हें केवल पारिवारिक उत्तरदायित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं।3

उत्तरदाताओं के वर्त्तमान व पूर्व में निर्वाचित पद की स्थिति संबंधी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 88.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पद पंच हैं तथा 06.13 प्रतिशत उत्तरदाता सरपंच हैं एवं 04.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पद उप सरपंच है। चयनित उत्तरदाताओं के 45 (13.80 प्रतिशत) उत्तरदाता पूर्व में भी ग्रामीण नेतृत्व रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक 82.22 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्व में पंच तथा 17.78 प्रतिशत उत्तरदाता सरपंच के पद पर रहे। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण एक बार ग्रामीण नेतृत्व निर्वाचित होने के पश्चात् पुनः ग्रामीण नेतृत्व बहुत कम निर्वाचित होते हैं। ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी होने पर विरोध होने संबंधी मत को उत्तरदाताओं के लिंग संरचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 171.265 सारणी मान 3.841 से बहुत ही अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह संबंध की पुष्टि करता है, अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी होने पर विरोध लिंग संरचना के आधार पर होता है तथा महिला ग्रामीण नेतृत्व प्रत्याशी विरोध का सामना अधिक करते हैं, अतः अध्ययन की उपकल्पना सही सिद्ध हुआ। तथ्य विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीण समाज में आज भी पुरुष महिला उपेक्षा की भावना से ग्रसित है और ग्राम विकास के लिए महिला ग्रामीण नेतृत्व को जागरूक नहीं मानते हैं तथा उन्हें केवल पारिवारिक उत्तरदायित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं। पंचायत बैठक में शामिल होने की स्थिति को उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण द्वारा विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 44.05 सारणी मान 11.07 से बहुत अधिक है, अर्थात् दोनों में सार्थक सह संबंध है। अतः विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत बैठक में शामिल होने में ग्रामीण नेतृत्व की शिक्षा का विशेष योगदान होता है, तथा ग्राम पंचायत बैठक में शामिल होने वाले ग्रामीण नेतृत्व अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होते हैं, जो उनके शिक्षा का परिणाम हैं। उत्तरदाताओं द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखने संबंधी विश्लेषण से ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 50.92 प्रतिशत उत्तरदाता अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखता है तथा 49.08 प्रतिशत उत्तरदाता अपे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखने वाले ग्रामीण नेतृत्व से प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 65.07 प्रतिशत उत्तरदाताओं के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलता है तथा 34. 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं के प्रस्ताव को कोई महत्व नहीं मिलता है। समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव नहीं रखने वाले ग्रामीण नेतृत्व से प्रस्ताव नहीं रखने के कारणों को जानने का प्रयास से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 47.50 प्रतिशत उत्तरदाता जागरुकता व जानकारी के अभाव के कारण प्रस्ताव नहीं रखते हैं तथा 40 प्रतिशत उत्तरदाता जागरुकता के अभाव एवं 12.50 प्रतिशत उत्तरदाता जानकारी के अभाव में अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव नहीं रखते हैं।4

अतः उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखने की प्रवृति में बढ़ोत्तरी हो रही

है, फिर भी निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व को जागरूक करने की आवश्यकता है, ग्रामीण नेतृत्व के प्रस्ताव को विशेष महत्व प्रदान करने पर ही सर्वांगीण ग्राम विकास होगा। उत्तरदाताओं द्वारा अपने वार्ड में निरीक्षण करने संबंधी अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 58.28 प्रतिशत उत्तरदाता अपने वार्ड का निरीक्षण करते हैं तथा 41.72 प्रतिशत उत्तरदाता अपने वार्ड का निरीक्षण नहीं करते हैं। वार्ड का निरीक्षण करने वाले उत्तरदाताओं से वार्ड निरीक्षण करने की अवधि को जानने का प्रयास किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 41.58 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्येक 15 दिनों में तथा 33.68 प्रतिशत उत्तरदाता वर्ष में व 12.63 प्रतिशत उत्तरदाता प्रति सप्ताह एवं 12.11 प्रतिशत उत्तरदाता महीनों में अपने वार्ड का निरीक्षण करते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है, कि आधे से अधिक ग्रामीण नेतृत्व निर्वाचित होने के बाद वार्ड निरीक्षण करते हैं, जो कि जागरूक ग्रामीण नेतृत्व होते हैं। अतः समस्त ग्रामीण नेतृत्व को जागरूक करने के लिए पहल की आवश्यकता है, जिससे निर्वाचित समस्त ग्रामीण नेतृत्व ग्राम विकास में अपनी अहम् योगदान प्रदान कर सकें। उत्तरदाताओं को पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी होने संबंधी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 64.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी है तथा 35.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी नहीं है। अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम विकास हो रहा है, और अधिकांश ग्रामीण नेतृत्व पंचायती राज व्यवस्था के प्रति अधिक सजग हुए हैं, जो उनके जागरूकता को दर्शाता है। उत्तरदाताओं को पंचायती राज अधिनियम की जानकारी होने संबंधी विवरण से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 73.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं है तथा 26.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी है। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं से प्रावधानों की जानकारी के स्तर को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 56.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आंशिक व 37.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पूर्णतः तथा 05.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं के बराबर है।5

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है कि विगत कई वर्ष पहले पंचायती राज अधिनियम लागू होने पर भी आज तक समस्त ग्रामीण नेतृत्व को इस अधिनियम के समग्र प्रावधानों की जानकारी नहीं है, यह पंचायती राज अधिनियम के समग्र प्रावधानों के प्रति ग्रामीण नेतृत्व की जागरूकता में कमी है, इस कारण ग्राम विकास के लिए विशेष योजना संचालित किया जा रहा है। घर में शौचालय होने की स्थिति का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 26.531 सारणी मान 12.592 से अधिक है, अतः दोनों में सार्थक सह संबंध है, अर्थात् घर में शौचालय निर्माण कराने में जाति का अहम् योगदान होता है। अतः ग्रामीण समाज में जाति के अनुसार स्वच्छता पर मानसिकता बनता है, अध्ययनकाल में आरक्षित वर्गों के एक चौथाई उत्तरदाताओं के घर में ग्रामीण नेतृत्व बनने के पहले शौचालय की व्यवस्था है, अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीण समाज में शौचालय निर्माण के प्रति जागरूकता में कमी है। पुनः ग्रामीण नेतृत्व बनने के लिए घर में शौचालय होने की अनिवार्यता की जानकारी का उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति में प्राप्त तथ्यों से विश्लेषण काई वर्ग परीक्षण के द्वारा किया गया है। विश्लेषण में काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 57.74 सारणी मान 7.81 से बहुत अधिक है। अतः दोनों में सार्थक सह संबंध है, अर्थात् वैवाहिक स्थिति के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व के अनिवार्य प्रावधानों की जानकारी होता है, जिसमें विवाहित ग्रामीण नेतृत्व को अधिक जानकारी है। अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की जानकारी होने संबंधी विवरण से यह ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 67.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की जानकारी है, 05.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम पंचायत में अविश्वास लाये जाने की जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं से अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को ज्ञात किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 90.05 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत गठन के एक वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है एवं 9.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत गठन के एक वर्ष के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि, आज भी ग्रामीण समाज में अविश्वास प्रस्ताव लाने संबंधी प्रावधन के प्रति जागरूकता का अभाव है, जबकि ग्राम पंचायत को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, जिसमें पूर्णता जागरूकता की आवश्यकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जानकारी होने संबंधी मत को उत्तरदाताओं के लिंग संरचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 69.22 सारणी मान 5.99 से बहुत ही अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह संबंध की पुष्टि करता है। अर्थात् ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जानकारी होने संबंधी मत को लिंग संरचना प्रभावित करता है। उक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है, कि पुरुष ग्रामीण नेतृत्व की तुलना में महिला ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण प्रावधान की जानकारी बहुत कम है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि अधिकांश महिला ग्रामीण नेतृत्व का पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान की औपचारिकता पूर्ति हेतु निर्वाचन किया जाता है, इस कारण महिला ग्रामीण नेतृत्व में ग्राम विकास की दृष्टि से जागरूकता का अभाव अधिक है।

सन्दर्भ सूची

1. बासंडर, लियोनार्ड एंड अदर्स (1972) : क्राससेंस, सीक्वेंस सन पॉलिटिकल डेवलपमेंट
2. जैन, बी.एम. (2000) : शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. परमार, संदीप (1998) : ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. राठौर, गिरवर सिंह (2004) : भारत में पंचायती राज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
5. शर्मा, हरिओम (2004) : ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउफस, नई दिल्ली